eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

महिला सशक्तिकरण एवं भारत सरकार की योजनाएं : एक अध्ययन

समीक्षा सिंह[1] एवं डॉ0 अभिलाष सिंह यादव[2]
[1]शोध छात्रा, महामाया राजकीय महाविद्यालय, धनूपुर, हण्डिया, प्रयागराज
[1]प्रोफेसर, महामाया राजकीय महाविद्यालय, धनूपुर, हण्डिया, प्रयागराज, सम्बद्धः प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्याल, प्रयागराज

Received: 23 July 2025, Accepted: 25 July 2025, Published with Peer Reviewed on line: 31 July 2025

Abstract

भारत एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को सिर्फ स्त्री होने का दर्जा ही नहीं प्राप्त है बल्कि उन्हें देवी का दर्जा दिया गया है। भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बेटियों के जन्म को शुभ माना जाता है। इतिहास गवाह है कि एक समय ऐसा भी रहा है जब मातृसत्तात्मक सत्ता रही है और यह, यह दर्शाता है कि महिला कि समाज में स्थिति प्रथम रही। समय के परिवर्तन के साथ अत्याचार बढ़ते और घटते रहे और उनकी स्थिति में उतार–चढ़ाव देखने को मिले। अगर देश का दूसरा पहलू देखें जो कि अभी भी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में बसता है। जिसमें शिक्षा और विकास बहुत पीछे है। आज भी ऐसी बहुत बेटियां हैं जो विद्यालय का मुंह भी नहीं देखी हैं और उनका परिवार यह जिम्मेदारी नहीं समझता है कि बेटियों को अशिक्षित रखकर वह अपराध कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जो मनुष्य और जानवर में भेद बताता है। अभी भी गांव में खेतों में काम करने वाले मजदूर बेटियों को स्कूल भेजने के बजाए मजदूरी कराते हैं और उन्हें दूसरे के घर की अमानत समझकर कुछ वर्षों तक अपने पास रखते हैं जबतक उनका विवाह न हो जाए। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर कम उम्र में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है और यही नहीं लड़कियों को बोझ समझते हुए उसे अधेड़ उम्र के पुरुषों के साथ बांट दिया जाता हैं। अर्थात् विवाह कर दिया जाता है।

महिलाओं की स्थिति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर दृष्टि डालने के उपरान्त यही प्रतीत होता है कि सुधार तो हुआ है। लेकिन हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। जहां पर असम्भव जैसा कुछ नहीं है और अगर इस युग में भी महिलाएं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पुरुषों पर निर्भर हैं तो इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं। इस शोध पत्र में स्वामी विवेकानन्द के महिलाओं से सम्बन्धित विचारों को संदर्भित करते हुए महिला स्थिति में सुधार को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वामी विवेकानन्द का मानना था कि ''जो राष्ट्र स्त्रियों का सम्मान नहीं करता वह न तो अब महान बन सकता है और न ही भविष्य में बन पाएगा।'' अतः में महिलाओं को उस स्थान पर लाना चाहिए जहां से वह अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढ सकें।

प्रमुख शब्द–महिला सशक्तिकरण, सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक संस्थान, कानून व्यवस्था, सरकारी योजनाएं, कुप्रथा, संकीर्ण मानसिकता, अर्वाचीन स्थिति।

Introduction

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार किस प्रकार किये जायें तथा महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारों द्वारा बनाये गये योजनाओं को कैसे समाज में प्रदर्शित करें जिससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके। समाज में लैंगिक भेद–भाव की स्थिति से कैसे रू–ब–रू हों ताकि उसका

समाधान प्राप्त किया जा सके। इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संतुलन के विकास के लिए उपयोगी तथ्यों को प्रस्तुत करना है।

अध्ययन विधि– प्रस्तुत शोध पत्र विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। इसलिए यह द्वितीयक स्त्रोतों (जैसे–नीति, दस्तावेज, सरकारी रिपोर्ट, पुस्तकें, शोध पत्रों आदि) पर आधारित है। जिसमें विभिन्न पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा अनेक वेबसाइट का उपयोग हुआ है। प्राचीन काल में महिलाओं को देवी की संज्ञा दी गई थी परन्तु समय के साथ–साथ विशेषकर मध्यकालीन युग में महिलाओं की दशा में बहुत गिरावट हुई। ब्रिटिश काल एवं तत्पश्चात आधुनिक काल में सामाजिक जागरुकता में निरन्तर वृद्धि होने से महिलाओं की दशा में सुधार के लिए उपायों पर न केवल विचार किया जाने लगा, बल्कि साथ ही उनको क्रियान्वित करने का प्रयास भी किया जाने लगा। इससे महिलाओं की दशा में सुधार होने लगा। परिणामस्वरूप महिला सशक्तिकरण जैसे शब्द का जन्म हुआ। महिला सशक्तिकरण की चर्चा आज की नहीं है बल्कि राजा राममोहन राय से लेकर आज के विद्वानों के विचारों में महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की बात नजर आती है। चाहे बात सती प्रथा के अंत की हो, महिला सुरक्षा की हो, शिक्षा एवं सम्पत्ति के अधिकार की हो चाहे राजनीति में पूरी सहभागिता की हो, समय–समय पर इन सारी जरूरतों में महिलाओं ने अपना अधिकार समझकर आंदोलन छेड़ा और उस आन्दोलन में राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, बाबा साहेब अम्बेडकर, गांधी जी एवं दयानन्द सरस्वती जैसे विद्वानों ने पूरा सहयोग दिया।

महिला सशक्तीकरण का अर्थ– स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है। अर्थात् स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व सम्भव है। इस शक्ति को विकसित एवं परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय विचार, विश्वास एवं धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सु–अवसर प्रदान करना ही महिला सशक्तिकरण का आशय है। अन्य शब्दों में कहें तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ, महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। ताकि उन्हें रोजगार शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सकें जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। आसान भाषा में कहें तो महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह महिला सशक्तिकरण है जिससे वह समाज में अपने वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनती है। महिलाओं को सक्षम बनाना ही महिला सशक्तीकरण है। संविधान में महिलाओं को कहीं भी पुरुषों से कम अधिकार नहीं प्राप्त हैं बल्कि नीति निर्देशक में भी महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण की चर्चा की गई है जिसका अधिकार राज्य को है। पंचायतों में भी महिलाओं को आरक्षण का अधिकार मिला है और एक लम्बे संघर्ष के बाद लोकसभा में भी 33 प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त हुआ है। आज का समय ऐसा है कि समाज और देश के हर क्षेत्र में कार्यरत लोगों में महिलाओं की प्रतिभा पुरुषों की अपेक्षा अधिक मजबूत दिखाई दे रही है और आज की महिलाएं अपनी दोहरी भूमिका को इमानदारी से निभा रही है। जिसमें एक तरफ वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए अपने व्यवसायिक जिम्मेदारी को भी निभा रही है और शिकायत का मौका भी नहीं मिल रहा है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता– भारत में महिला सशक्तिकरण के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आई है। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वह सम्मान घटने लगा था।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्त हैं फिर भी दूसरी तरफ ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा जैसी प्रमुख सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। भारत में महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख कारण भुगतान में असमानता भी है। देश एक तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा लेकिन इसे बरकरार रखने के लिए हमें लैंगिक असमानता को दूर करना होगा। साथ ही साथ महिलाओं के लिए पुरुषों की ही भांति समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित करना होगा। भारत की लगभग आधी आबादी (50 प्रतिशत) जो केवल महिलाएं हैं। जो कई सामाजिक कुरीतियों, बंधनों में बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में यह सम्भव ही नहीं है कि जिस देश की आधी आबादी मजबूत व शिक्षित ही नहीं उस देश उस समाज का विकसित होना सम्भव है। आज आजादी के 75 वर्ष के बाद भी यदि हमें महिला सशक्तिकरण जैसे विषय पर बात करने की जरूरत नजर आ रही है तो इसका तात्पर्य यह दर्शाता है कि कुछ तो कहीं छूट गया है। समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी देश की मुख्यधारा से अछूता प्रतीत हो रहा है। महिलाओं को समाज के साथ–साथ उनके अपने ही परिवार में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी देखने को मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे लैंगिक भेदभाव को और कुप्रथाओं को हटाने के लिए सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए गये तथा लागू किए गये हैं। हालांकि ऐसे बड़े विषय को सुलझाने के लिए हमें सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होगा। जिसमें महिला और पुरूष दोनों वर्गों का एक जुट होना अति आवश्यक है। वर्तमान में इसका परिणाम देश में चल रहे विभिन्न एनजीओ को माना जा सकता है।

महिला सशक्तीकरण के प्रमुख आयाम– महिलाओं के सशक्तिकरण के स्वरूप को समझने के लिए कुछ प्रमुख आयामों को समझना होगा। इस धारणा के मूल में स्त्री–पुरुष को एक दूसरे का पूरक बनते हुए समता मूलक व्यवस्था विकसित करने की भावना को निहित करना होगा। इस प्रक्रिया के आयाम कई हैं, जैसे–शैक्षिक सशक्तीकरण, स्वास्थ्य सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और विधिक सशक्तिकरण।

भारत सरकार की कार्यरत योजनाएं एवं अधिनियम– भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए कई सारी योजनाएँ चलाई जाती है। इनमें से कई सारी योजनाएँ रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य जैसी चीजों से संबंधित होती हैं। इन योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं के परिस्थिति को देखते हुए किया गया हैं तकि समाज में इनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इनमें से कुछ मुख्य योजनाएं मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना (मातृ मृत्युदर को कम करने के लिए चलायी जाने वाली योजना) आदि हैं। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएँ इस आशा के साथ चलाई जा रही हैं कि एक दिन भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों की ही तरह प्रत्येक अवसर का लाभ प्राप्त होगा। जैसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, उज्जवला योजना, स्टेप (सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एंपलॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन) महिला शक्ति केन्द्र, पंचायती राज योनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण आदि। कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा भी कुछ अधिनियम पास किये गये हैं। ये अधिनियम निम्नलिखित हैं–

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956

- दहेज रोक अधिनियम, 1961
- एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट, 1976
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1987
- लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट, 1994
- बाल विवाह रोकथाम एक्ट, 2006
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट, 2013
- लगभग 9000 गाँवों में महिला समाख्या क्रियान्वित की जा रही है।
- आजीविका और इंदिरा आवास योजना (IAY) ।
- जेंडर बजटिंग योजना (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना) ।
- सिडबी की महिला उद्यम निधि महिला विकास निधि ।
- एनजीओ की क्रेडिट योजनाएं।
- कामकाजी और बीमार मां के बच्चों के लिए केयर सेंटर
- राष्ट्रीय महिला अधिकारिता मिशन।
- राष्ट्रीय महिला कोष (आर.एम.के.) 1992–1993
- किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (आर.जी.एस.ई.ए.जी.) 2010
- स्वालम्बन।
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP) के लिए सहायता
- एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (2009–2010)
- स्वाधार।
- स्वयंसिद्धा।
- कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राष्ट्रीय बैंक
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग।
- कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास।
- उज्जवला (2007)।
- कामकाजी महिला मंच।
- महिला समृद्धि योजना (MSY) अक्टूबर, 1993
- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)।
- स्वयं शक्ति समूह।
- कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना
- शॉर्ट स्टे होम्स।
- महिला विकास निगम योजना (डब्ल्यू.डी.सी.एस.)।

- इंदिरा महिला योजना (आई. एम. वाई.)।
- धनलक्ष्मी (2008)।
- महिला उद्यमी विकास कार्यक्रम को 1997–98 में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। महिला समिति योजना।
- एसबीआइई की श्री सखी योजना ।
- इंदिरा महिला केंद्र।
- स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (TRYSEM)।
- इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना।
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.)।

सुझाव– इस शोध पत्र के द्वारा भावी शोधार्थी द्वारा समाज देश कोा यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि महिला को सशक्त करने के लिए परिवार से लेकर देश के नेता तक को मिलकर कार्य करना होगा। क्योंकि बात 50 प्रतिशत के भूमिका की है। अभी तक सरकारी, अर्द्ध सरकारी, प्राइवेट संस्थाओं द्वारा महिलाओं के अधिकारों के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं। उसमें सुधार करने की जरूरत है। साथ ही साथ परिवार और महिलाओं को जागरुक करने की जरूरत है। बेटियों के जन्म को अभिशाप नहीं आशीर्वाद समझकर उनकी परवरिश, शिक्षा और विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। क्योंकि बेटियों का एक नहीं दो घर होता है और किसी विद्वान ने कहा है कि– ''अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो वह स्वयं शिक्षित होता है लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो समाज शिक्षित होता है।''

कुछ संतोषजनक सुधार– इतिहास के बहुत पीछे न जाते हुए आजादी के बाद के महिला स्थिति पर नजर डाले तो 75 प्रतिशत पूर्व से वर्तमान या अर्वाचीन स्थिति को देखते हुए महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुए हैं क्योंकि भारत में निरन्तर सरकारें बदलती रहीं और देश का आधा हिस्सा जो मजबूत मत को प्रदर्शित करता है। उन्हें समाज और देश से अलग कर के नहीं रखा जा सकता है। समय–समय पर हर जाति धर्म की महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकारों ने विधेयक कानून देश में लायें। अगर अभी हाल की बात करें तो मुस्लिम महिला तलाक (तीन तलाक) को संशोधित किया गया जिससे मुस्लिम महिलाओं ने एक सकारात्मक स्थिति को प्राप्त किया। उसके बाद अधिनियम 106 (2023) में आया जिसमें लोकसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण दिया गया और यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जो नया संसद बना है उस संसद में यह पहला विधेयक पारित हुआ जो महिला सशक्तिकरण की दिशा को दर्शाता है। अभी कुछ वर्षों के आंकड़ों ने यह दर्शाया है कि भारत की सर्वोच्च सिविल सेवा की परीक्षाओं में मुख्य 10 में महिलाओं की संख्या ज्यादा नही है और यह अतिश्योक्ति नहीं होगी कि प्रथम स्थान भी महिलाओं का ही रहा है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों ने बताया कि लड़कियों की विद्यालयी शिक्षा से उच्च शिक्षा की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है और हमारी सरकार एक अभिभावक की तरह बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने में जो कि निःशुल्क है बढ़चढ़ कर भाग ले रही है।

निष्कर्ष– जिस तरह से भारत का तेजी से विकास हो रहा है वह दिन दूर नहीं जब भारत विकासशील से विकसित की श्रेणी में खड़ा रहेगा। लेकिन यह विकास हर क्षेत्र में होना चाहिए। महिलाओं की

सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जिस प्रकार महिलाओं की चौमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है। आने वाला वक्त यह साबित कर देगा कि वह यही भारत है जहां कहा जाता है।

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।"

आजादी के समय राजनीति में महिलाओं की भूमिका की गिनती की जा रही है। वर्तमान स्थित में महिलाओं की स्थिति में सराहनीय सुधार हुआ। राजनीति तकनीकि देश–विदेश हर जगह महिलाएं अपनी भूमिका को निभा रही हैं इस गति को और तीव्र करके इनके आंकड़ों में सकारात्मक परितर्वन लाया जा सकता है। कुछ कानूनी संवैधानिक प्रावधान द्वारा, सामाजिक बदलाव द्वारा और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता दिला कर महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है।

संदर्भ सूची–

1. सिंह, वी0एन0 और जनमुंजय सिंह, आधुनिकता एवं नारी सशक्तीकरण, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, 2010

2. महाजन, सुमित्रा, महिला सशक्तीकरण, दर्शन, लक्ष्य और उपलब्धियां, प्रकाशन, विभाग, सूचना एवं मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2016

3. सेठ, मीरा, महिला सशक्तीकरण– जागृति एवं विकास की आवश्यकता, योजना आयोग, नई दिल्ली, 2017

4. गिरधारी लाल और डी0के0 जैन, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण, कुरूक्षेत्र, 2017

5. जोशी, गोपा, भारत में स्त्री असमानता, हिन्दह माध्यम कार्यन्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 2011

6. जैन, पुखराज, 2002, भारतीय राजनीतिक विचारक, साहित्य पब्लिकेशन, आगरा

7. विवेकानंद, स्वामी, शिक्षा, संस्कृति और समाज

8. कुमार, भवेश, 2010, स्वामी विवेकानन्द के शैक्षिक चिंतन की प्रासंगिकता, भारतीय आधुनिक शिक्षा जनवरी 2010

9. अवस्थी, डॉ0 अमरेश्वर अवस्थी, डॉ0 राम कुमार : आधुनिक भारतीय सामाजिक प्रकाशन एवं राजनीतिक चिन्तन, प्रकाशन विभाग–सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार (1961)

10. मालती सारस्वत : भारतीय शिक्षा का विकास और समस्याएं, रस्तोगी पब्लिकेशन, शिवाजी रोड, मेरठ

11- Uma Devi (2000) "Women's Equality in India – A Myth or Reality, Discovery publishing house, New Delhi."

12- Kachika, T. (2009). Women's Land Rights in Southern Africa: Consolidated Baseline Findings from Malawi,Mozambique, South Africa, Zambia and Zimbabwe. London: Niza and Actiona AID International.

13- Kishor, S. and Gupta, K. (2009). Gender Equality and Women s Empowerment in India, NATIONAL FAMILY HEALTH SURVEY (NFHS-3) INDIA, 2005-06, International Institute for Population Sciences, Deonar, Mumbai.

14- Lennie, J. (2002). Rural women's empowerment in a communication technology project: some contradictory effects. Rural Society, 12(3), 224-245.

15- Mosedale, Sarah (2005). Policy Arena. Assessing Women's Empowerment: Towards a Conceptual Framework. Journal of International Development, J. Int. Dev. 17 243-257 15 Peters, M., & Marshall, J. (1991). Education and empowerment: Postmodernism and the critique of humanism. Education and Society, 9(2).

16- International Journal of Scientific Research in Science and Technology (www.isrst.com)

17- Sharma, S.L. (2000). Empowerment without Antagonism: A Case for reformulation of Women's Empowerment Approach, Journal of Indian Sociological Society, Vol.49, No.1, Delhi, India.

18- Syed, J. (2010). Reconstructing Gender Empowerment. Women Studies Interanational Forum 33, 283-294.

19- Uma Devi (2000). "Women's Equality in India - A Myth or Reality', Discovry Publishing House, New Delhi.

20. http://www.writespirit.net

21. http://www.ppup.ac.in